पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०-01/2014 92

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 11-8-14

विषय :- मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-35-ए॰आई॰बी॰पी॰ एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200796350545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग /4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय	796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 35-ए॰आई॰बी॰पी॰ एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश)	05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य/ 50P470200796350545	**350.00**

आवंटित राशि – ₹ तीन करोड़ पचास लाख मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2014-15 के **बजट उपबंध ₹ 13000.00 लाख (₹ एक सौ तीस करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुनील कुमार सिन्हा)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ हीं तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

8/8/14
(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 92 रॉची, दिनांक :– 11-8-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/गुमला** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

8/8/14
(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 92 रॉची, दिनांक :– 11-8-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	(सुनील कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)	8/8/14 **(अविनाश कुमार) सचिव**

पत्रांक – 92 / रॉंची, दिनांक – 11-8-14 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष–35–ए॰आई॰बी॰पी॰ एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन (केन्द्रांश)
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,
विपत्र कोड–50P470200796350545
बजट उपबंध (वर्ष 2014–15) रू॰ 13000.00 लाख

(लाख ₹ में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति का राशि	मार्च 2014 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवंटन: पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला (GMLIRR006)	गुमला	कमडारा	मोरहा नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	23/03.12.10	142.315	43.650	0.00	350.00	350.00	51894	Phase-III
		गुमला	घाघरा	जोवा नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	183.458	177.300					
		गुमला	कमडारा	सिलागुड्ड नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	213.853	127.450					
		गुमला	गुमला	कुलावीरा नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	178.157	144.330					
		गुमला	विशुनपुर	बेती नदी पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	132.520	109.330					
		गुमला	विशुनपुर	बेथेत नदी पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	301.796	140.700					
		गुमला	गुमला	सिलाम नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	138.977	136.030					
		गुमला	भरनो	बोरा टोली नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	169.800	162.240					
		गुमला	घाघरा	दोदक नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	131.948	124.760					
		गुमला	सिसई	भेनवारा नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	155.440	146.750					
		गुमला	सिसई	मंगलो नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	189.650	188.490					
		गुमला	सिसई	अरिया नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	271.478	296.470					
		गुमला	भरनो	कंश नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	235.478	193.700					
		गुमला	कमडारा	गारा नाला पर श्रृं॰ चेकडैम	" "	208.078	169.590					
							योग	**0.00**	**350.00**	**350.00**		
आवंटित राशि – ₹ तीन करोड़ पचास लाख मात्र।												

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(अविनाश कुमार)
सचिव